प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

04 हत्याभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास व 20,000/- रूपए अर्थदंड की सजा

दिनांकः 30.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 30.09.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर आजीवन कारावास एवं 20,000/- रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना पिसांवा से सम्बन्धित मु0अ0सं0 727/09 धारा 302/452/504/506 भादवि व मु0अ0सं0 756/09 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट बनाम 1.लल्लन पुत्र काशी 2.गिरीश पुत्र मूलचन्द्र 3.धर्मेन्द्र पुत्र छंगालाल 4.छंगालाल पुत्र बदलू सर्व निवासीगण ग्राम नरायनपुर थाना पिसांवा जनपद सीतापुर में पिसांवा पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 30.09.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय ASJ-04 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध 04 अभियुक्तों 1.लल्लन 2.गिरीश 3.धर्मेन्द्र 4.छंगालाल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 भा.द.वि में आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपए अर्थदण्ड, धारा 452 भा.द.वि में 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 5,000/- रूपए अर्थदण्ड तथा धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष कारावास एवं 5,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

....